

2021/6

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

दर्शना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
11/21	88, 89, 188 R74	खेडली	खेडा

वादी समस्तन	वाद शीर्षक	प्रतिवादी असादुल्ला खां
रामरत्न	बनाम	असादुल्ला खां

वकील :- एम. एस. सिद्धकी **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

10²/₂₁

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 17/3/2021 को पेश हो।

[Signature]

17/3/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के वाद तालील सम्मन अग्रस्त। पुनः तलवी हेतु तलवना आज ही पेश करें। वास्ते तलवी/तलवना पत्रावली दिनांक 6/4/21 को पेश हो।

[Signature]

6⁴/₂₁

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के तलवी सम्मन अग्रस्त। पुनः तलवी हेतु तलवना आज ही पेश करें। वास्ते तलवी पत्रावली दिनांक 18/5/21 को पेश हो।

[Signature]

18⁵/₂₁

भारत सरकार
आज पीतासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 21/6/21 को पेश हो।

[Signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला,

पत्रावली पत्र डी वन्दुल्लाह करीफ उपा. गवा. 19-11-24 को पत्र नहीं हुआ। कारण यह है कि पूर्व में कार्य अवरुद्ध किया जा चुका है - फापरि में 100+ वही पत्र एक कॉपी अवरुद्ध किया जाय।
 डी पत्रावली नॉन् आदेश जा. पत्र दिनांक 19-11-24 को पत्र है।

19.11.24

पत्रावली पत्र डी वकील बारी उपा. गवा. डी वकील बारी व सदन बारी उपा. गवा. डी जस्टिस बारी की ओर है श्री रामेश्वर जसाड गोमल एड- का वकालतनामा पत्र हुआ।
 गवा. जा. पत्र पत्र नहीं हुआ। गवा. जर्नल पत्र बंद किया जाय डी बंद जर्नल पत्र वकील जस्टिस बारी हुनी गरी पत्रावली नॉन् आदेश जा. पत्र दिनांक 20-11-24 को पत्र है।

20.11.24

अख्तियारक जस्टिस बारी बरा जर्नल पत्र काड खरिदक किया जाय है फुल है इत आशय का पत्र किया गया कि जस्टिस बारी अमादुल्ला खां की मृत्यु दिनांक 20.2.2016 को बहकात कसब में हो गया है बारी है यह काड फुलक अमादुल्ला खां के विरुद्ध प्रहसन किया है फुलक के विरुद्ध दावा चलने योग्य नहीं है जो खिला उकाट है मेजेरेबल नहीं है और खरिदक किया जाय योग्य है जस्टिस बारी बरा जर्नल पत्र प्रहसन कड काड खरिदक कले का खरिदक किया है।

कह जा. पत्र अख्तियारक जस्टिस बारी हुनी गरी पत्रावली सदन दिनांक का अख्तियारक किया गया।
 बारी बरा काड पत्र दिनांक 16-12-20 को पत्र किया गया है। जस्टिस बारी अमादुल्ला खां की मृत्यु दिनांक 20.2.2016 में देखा बताया है जब जस्टिस बारी अमादुल्ला खां की मृत्यु 2016 में हो चुकी थी है बारी को फुलक के खिलाफ काड पत्र प्रहसन नहीं कला जायेगा था। बारी के वकील बरा भी जर्नल पत्र का गवा. पत्र नहीं किया और ना ही वकील बारी - फापरि के उपस्थित हुआ। फुलक के विरुद्ध दावा पत्र नहीं किया जा सकल। फुलक के विरुद्ध काड पत्र प्रहसन मेजेरेबल नहीं है डी कारण बारी का काड खरिदक किया जाय डी पत्रावली फुलक अख्तियारक काड वकील वकील के खरिदक उपा. है।